

पशावली चेष्ट हुई। वकील पार्थी एवं
पार्थी को वाक 2 कावाजे लगाई गई
परंतु पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता
वाक-2 कावाजे लगाने को वावजूद
बाहिर आदाएत नहीं आये। अतः
पार्थीय पार्थी U/S 212 RTA इसी
स्टेज पर खारिज किया जाता है। एवं
पुनः में जारी अंतरिम अध्यायी
विषेष्टाज्ञप को भी खारिज किया जाता है।
पशावली केसल सुमा हुका नम्बर से
कम की जाकर दायित्व दफ्तर ही।
निर्णय मेरे द्वारा वृद्धे - प्रायालच में
सुनाया गया।

Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

